



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



21 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 143 राँची, सोमवार,

11 मार्च, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

6 मार्च, 2024

संख्या-16/नि०-03/2013-1555--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल "झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2024" कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथा संशोधित) के नियम-2 (viii) में निम्न प्रावधान है:-

"नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है- पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), झारखण्ड, राँची।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

"नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है-संबंधित जिला/ईकाई के क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक।

3. झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) के नियम-4 में निम्न प्रावधान है:-

"इस सेवा संवर्ग में नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) होंगे।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

"इस सेवा संवर्ग में नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला/ईकाई के क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक होंगे।"

4. झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथा संशोधित) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

5. विभागीय संलेख जापांक-973, दिनांक-20.02.2024 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-23.02.2024 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-25 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

टी० कन्दसामी,

सरकार के विशेष सचिव।
